भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2603

जिसका उत्तर 21 दिसम्बर, 2021/30 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया गया

एमएसएमई, एसएचजी, ग्राम स्तरीय उद्यमों को वित्तीय सहायता

2603. श्री नीरज डांगीः

डा. अमी याज्ञिकः

क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत चार वर्षों के दौरान एमएसएमई, एसएचजी और ग्राम स्तरीय उद्यमियों को प्रदान किए गए 'मुद्रा' ऋण का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत चार वर्षों में एमएसएमई, एसएचजी में और ग्राम स्तरीय उद्यमियों के उद्यम क्षेत्र में 'मुद्रा' ऋण के माध्यम से सृजित रोजगार अवसरों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला हितधारकों सहित कुल हितधारकों की संख्या कितनी है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और विनिर्माण, व्यापार, सेवा और कृषि से संबद्ध क्रियाकलापों जैसे क्षेत्रों में कृषेत्तर आय सृजन क्रियाकलाप के लिए कोई कारोबार योजना रखता है और जिसकी ऋण आवश्यकता 10 लाख रुपए तक है, वे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं।

गत चार वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए ऋण का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया हैः-

वित्तीय वर्ष	ऋण खातों की संख्या (करोड़ में)	स्वीकृत राशि (लाख करोड़ रुपए में)
2017-18	4.81	2.54
2018-19	5.99	3.22
2019-20	6.22	3.37
2020-21	5.07	3.22
योग	**22.09**	**12.35**

(ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) ने पीएमएमवाई के तहत रोजगार सृजन का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नमूना सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, पीएमएमवाई ने लगभग 3 वर्षों (अर्थात वर्ष 2015 से 2018 तक) की अवधि के दौरान 1.12 करोड़ निवल अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में सहायता की है। समग्र स्तर पर, मुद्रा लाभार्थियों के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त रोजगार में शिशु श्रेणी के ऋण का लगभग 66% योगदान है, जिसके बाद क्रमशः किशोर (19%) और तरुण (15%) श्रेणियों का योगदान है। तथापि, पीएमएमवाई के अंतर्गत सृजित रोजगार अवसरों के संबंध में केन्द्रीय स्तर पर आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग): मुद्रा पोर्टल पर सदस्य उधारदात्री संस्थाओं द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 26.11.2021 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में अजा, अजजा, अल्पसंख्यक तथा महिला उद्यमियों सहित दिए गए पीएमएमवाई ऋणों की संख्या निम्नानुसार हैः

	ऋण खातों की संख्या (करोड़ में)
सामान्य	15.71
अजा	5.48
अजजा	1.83
अपिव	9.1
समग्र भारत योग	32.11
उपर्युक्त में से	
अल्पसंख्यक	3.46
महिला उद्यमी	21.74

***